न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 03/2025 नामांतरकरण अपील

1. रामरख पुत्र गुलाब जाति गुर्जर निवासी ग्राम बावनपाडा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध निर्णय रिव्यू दिनांक 20.12.2024 प्रकरण संख्या 1/2024 तहत धारा 86 भू–अभिलेख अधिनियम 1956 उनवानी प्रकरण बदरी बनाम राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा)

उपस्थिति :–: श्री रामावतार गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री हेमेन्द्र कुमार मीना तहसीलदार सिकराय स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक: 28.04.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय में बदरी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2024 को पेश किया कि मूल्या पुत्र धन्ना ने रजिस्टर्ड गोदनामा क्रमांक 15 दिनांक 03.03.1994 कार्यालय उप पंजीयक सिकराय के यहां पंजीकृत होते हुये भी उनकी समस्त खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण विरासत अनुसार खोल दिया गया है। जबकि उनका मै एकमात्र अकेला वारिस हुं। अतः दिनांक 07.10.2024 के नामान्तरकरण को निरस्त कर मुझ प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश प्रदान करे। उक्त सन्दर्भ में नियमानुसार प्रकरण पुनरावलोकन हेतु प्रतीत होने पर पटवार हल्का बावनपाडा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मृतक की खातेदारी भूमि के नामान्तरकरण के समय गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त प्रकरण मे न्याय हित में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रभावित पक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा पूर्व नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 07.10.2024 का पुनरावलोकन किया जाना न्यायोचित होना बताते हुये निर्णय दिनांक 20.12.2024 खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गयी। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार सिकराय उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 07.10.2024 सरपंच ग्राम पंचायत बावनपाडा द्वारा तस्दीक किया गया था तथा जमाबन्दी में अमल में लाया गया था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय को सरपंच ग्राम पंचायत के नामान्तरकरण के खिलाफ रिव्यू लिया जाना कानूनन निरस्तनीय है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी नामान्तरकरण को खोले जाने की अपील न्यायालय उप जिला कलक्टर में प्रस्तुत होती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा धारा 135(2) सारहीन होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 07.10.2024 ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण जांच के बाद व सम्पूर्ण दस्तावेज लेने के बाद मूल्या के वारिसान रामरख, रामचन्द्र, बद्री, उमराव, अमरसिंह, जमना, मथुरी, केशन्ता के नाम बिल्कुल सही तस्दीक किया गया क्योंकि उक्त भूमि को मृतक मूल्या के जीवन काल में ही उक्त सभी खातेदारो को बराबर हिस्से में बांटदी थी जो आज भी बराबर हिस्से में काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने का आदेश तहसीलदार सिकराय द्वारा कतई गैर कानूनी तरीके से पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सिकराय का निर्णय दिनांक 20.12.2024 निरस्त फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामांतरकरण अपील संख्या : 03/2025

तहसीलदार सिकराय द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि न्यायालय तहसीलदार सिकराय में बद्री पुत्र गुलाब जाति गुर्जर निवासी ग्राम बावनपाडा तहसील सिकराय जिला दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि बद्री पुत्र मूल्या गुर्जर निवासी बावनपाडा को गोद लिया था, परन्तु मेरे चाचा जिन्होने मुझे गोद लिया था की मृत्यु पश्चात् उनकी समस्त खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तरकरण सरपंच द्वारा मूल्या के वारिसान रामरख, रामचन्द्र, बद्री, उमराव, अमरसिंह, जमना, मथुरी, केशन्ता के नाम खोल दिया गया है। जिस पर प्रकरण धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज किया जाकर सभी प्रभावित पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर उक्त नामा. संख्या 349 को पुनरावलोकन किये जाने के आदेश दिनांक 20.12.2024 जारी किये गये थे। ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये नामान्तरकरण की अपील न्यायालय उप जिला कलक्टर में होने के तथ्य को स्वीकार करते हुये तहसीलदार सिकराय द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त तथ्य के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 07.10.2024 मृतक खातेदार मूल्या की विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया है। जिसकी अपील न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में की जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय को ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये नामान्तरकरण के विरूद्ध पुनरावलोकन आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 उनवान बद्री बनाम राज. सरकार जरिये पटवार हल्का बावनपाडा तहसील सिकराय में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2024 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:32 IST
Reason: SelfAttested